बिहार विधान परिषद्

186वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 5

03 भाद्र , 1939 (श.)

शुक्रवार, तिथि ----------

25 अगस्त, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 21

1.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	....	....	02
2.	शिक्षा विभाग	....	....	17
3.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	....	....	01
4.	खान एवं भूतत्व विभाग	....	....	01

कुल योग – **21**

पुरातात्विक सर्वेक्षण

* 57. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं पुरावशेषों का प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) करवाना अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना पुरातात्विक धरोहर विनष्ट होने के कगार पर पहुंच गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चारों जिलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं प्रलेखन शीघ्र करवाना चाहती है?

शिक्षकों को प्रशिक्षण

* 58. **डॉ. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के आलोक में माध्यमिक शिक्षकों एवं उसके समकक्ष मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आम शिक्षित शिक्षकों को उनकी वरीयता के आधार पर प्रशिक्षित कराने का कोई प्रावधान बनाया गया है, नहीं तो क्यों?

बकायों का भुगतान

* 59. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा, संस्कृत शिक्षकों को वर्ष 2012 तक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में छठा पुनरीक्षित वेतन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ वर्ष 2013 से आज तक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त मदरसा, संस्कृत शिक्षकों को उनकी वेतनवृद्धि सहित सभी बकाओं का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अन्यत्र पदस्थापन

***** 60. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री,शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सरकारी सेवकों को नियम के तहत 3 वर्ष ही एक स्थान पर पदस्थापित रहना है साथ ही पदस्थापन गृह जिला में भी नहीं होना है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-798, दिनांक-22.6.17 द्वारा आर.डी.डी. का स्थानान्तरण हुआ है, इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन नहीं करते हुए कई पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके गृह जिला में ही कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पदाधिकारियों के स्थायी गृह जिला में पदस्थापन होने के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु कार्य किया जा रहा है जिससे भयादोहन का माहौल कायम हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारियों, जो गृह जिला में पदस्थापित हैं, को अन्यत्र पदस्थापन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सातवें वेतन का लाभ

***** 61. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु Short term, Mid term & Long term की योजनाएं बनायी हैं और उनके कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू कर दी है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान देने का आदेश निर्गत किया है;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना के आलोक में नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली बनाने का निर्णय संसूचित है और दो वर्षों के बाद भी अभी तक नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली अधिसूचित नहीं की जा सकी है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार ने शिक्षकों को दंडित करने के संबंध में सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है लेकिन उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ और सेवाशर्त नियमावली लागू करने के संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी की नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ और उनकी चिरप्रतीक्षित सेवाशर्त नियमावली कबतक अधिसूचित करेगी और उसका लाभ उन्हें कबतक प्राप्त होने लगेगा?

कॉलेजों का भवन निर्माण

***** 62. **श्री शिव प्रसन्न यादव** : क्या मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत सिवान जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एक पोलिटेकनिक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कॉलेजों के भवन के लिए भूमि का अधिग्रहण कहां-कहां किया गया है एवं क्या भवन निर्माण के लिए निधि उपलब्ध हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक भवन निर्माण कराकर पढ़ाई की सुविधा बहाल कराना चाहती है?

जमीन की बन्दोबस्ती

***** 63. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के हरिगांव में जनता इंटर विद्यालय स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के नाम से 5.78 एकड़ जमीन है, जिसकी बन्दोबस्ती कर विद्यालय का विकास कार्य किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की बन्दोबस्ती का कार्य पिछले 7 वर्षों से बन्द है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय की जमीन की बन्दोबस्ती करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

लिपिकों की बहाली

***** 64. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों में राज्य में कई सौ मध्य विद्यालयों सहित उच्च विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी उच्च विद्यालय एवं इंटर कॉलेजों में लिपिक रखने का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति उत्क्रमित विद्यालयों में नहीं हुई है एवं लिपिकों का सारा कार्य विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जिससे पठन-पाठन की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार कबतक उत्क्रमित उच्च विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों में लिपिकों की बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई कबतक

***** 65. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मो. अब्दुल जब्बार अंसारी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिये प्रपत्र 'क' गठित कर जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि जांच पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को सत्य मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि मो. अब्दुल जब्बार अंसारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उच्च स्तर पर जांच प्रतिवेदन को ठंडे बस्ते में रखवा दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि पालीगंज प्रखंड के कतिपय शिक्षकों द्वारा मो. अब्दुल जब्बार अंसारी की काली करतूतों/भ्रष्ट आचरण एवं कार्यकलाप को लेकर जांच पदाधिकारी के समक्ष गवाही दिये जाने के कारण उनके द्वारा उनलोगों का वेतन इत्यादि बंद कर प्रताड़ित किया जा रहा है जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मो. अब्दुल जब्बार अंसारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पालीगंज को प्रमाणित आरोपों के लिए कबतक कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

मध्यमा की परीक्षा

***** 66. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा वर्ष 2017 की मैट्रिक स्तर की होनेवाली मध्यमा की परीक्षा आज तक नहीं ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 की मध्यमा की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण इस सत्र में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के सत्र में विलंब हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2017 की माध्यमा की परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अनुशासनिक कार्रवाई

***** 67. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ढंगा पश्चिमी में राज्यकीयकृत माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम कान्त मिश्र की अवहेलना कर प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री ललन कुमार द्वारा मनमाने ढंग से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेनीपट्टी के ज्ञापांक 351, दिनांक 07.07.2015 के द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक को विद्यालय शिक्षा समिति का अविलम्ब गठन कर खाता संचालन हेतु अभिलेख उपस्थित करने का आदेश दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय शिक्षा समिति, संशोधित अधिनियम 2013 की कंडिका 16 के प्रावधानों का पालन प्रभारी प्रधानाध्यापक ने नहीं किया है;

(घ) क्या यह सही है कि सूचना के अधिकार के तहत श्री प्रेम कान्त मिश्र ने विषयक संबंधी दिनांक 01.09.2016 को लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेनीपट्टी, दिनांक 22.10.2016 को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी तथा क्रमबद्ध नियमानुसार राज्य सूचना आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने की जिज्ञासा प्रगट की थी;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो निश्चित अवधि बीत जाने के बाद भी श्री प्रेम कान्त मिश्र को आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है तथा क्या सरकार प्रभारी पदाधिकारी ललन कुमार के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

***** 68. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 5000 प्लस टू विद्यालयों में से 2345 विद्यालयों में शौचालय नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि शौचालय नहीं रहने से खासकर लड़कियों को परेशानी होती है तथा इस कारण लड़कियां विद्यालय कम आना चाहती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बचे हुए विद्यालय में शौचालय निर्माण का काम कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

वेतन का भुगतान

***** 69. **श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट इंटर स्कूल, जगदीशपुर, भागलपुर में डा. किरण जायसवाल शिक्षिका के पद पर स्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि डा. किरण जायसवाल पूर्व में रनूचक उच्च विद्यालय, मकनपुर, नाथ नगर में पदस्थापित थीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनेकों बार मिलीं, लेकिन आज तक डा. किरण जायसवाल को ग्रेड पे 2015 से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण उनके यहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वेतन का भुगतान शीघ्र करने की इच्छा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय में उत्क्रमण

***** 70. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभागीय संकल्प के ज्ञापांक-11/उत्क्रमण 1-2/14 1492, दिनांक 19.11.2014 की कंडिका 3 में वर्णित दिशा निर्देश के अनुरूप मध्य विद्यालय, जिनके पास 1 से 1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है, उसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में पंचायतवार जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित/ अनुमोदित उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण होने वाले मध्य विद्यालयों की सूची शिक्षा विभाग को जनवरी 2017 को ही उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा प्रस्तावित/अनुमोदित मध्य विद्यालय मझौरा, पंचायत परसौनी बैज, प्रखंड पिपराही को मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

बालू की किल्लत

***** 71. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिले में पिछले डेढ़ वर्षों से बालू उत्खनन का पट्टा निर्गत नहीं किया गया है, जिससे बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया सहित कई जिलों में लाल बालू की भारी किल्लत व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि लखीसराय में लाल बालू का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है एवं आम नागरिकों को दोगुने, तिगुने दामों में बालू खरीदना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पट्टा निर्गत कर वैध उत्खनन कर सस्ती दर पर लाल बालू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

***** 72. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मूल विषय फारसी एवं माध्यमिक विद्यालय में सातवें ऐच्छिक विषय फारसी के शिक्षकों के मूल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) इन विषयों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है तथा इन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कबतक की जाएगी ?

मोनेटरिंग एवं पेट्रोलिंग नहीं

***** 73. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में विधि व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था कायम करना गृह विभाग का दायित्व है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में निवासित लोगों को समान रूप से भौतिक संसाधन का वितरण करने की व्यवस्था के अभाव में उनमें पनप रहे असंतोष के कारण आपराधिक भावना को दबाने एवं उनके द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाओं के चलते उन्हें पकड़ने हेतु पुलिस-तंत्र द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि लोक व्यवस्था के तहत समानता के सिद्धांत पर राज्य में पल रहे बच्चे-बच्चियों को पकड़कर, समझा-बुझाकर विद्यालय तक पहुंचाने और विद्यालय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के शिक्षण-कार्यों की मोनेटरिंग एवं पेट्रोलिंग प्रत्येक जिला परिषद् में 100-100 जनप्रतिनिधियों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सरकारी पुलिस-तंत्र के रहते हुए भी किस परिस्थिति में नहीं की जा रही है?

स्टेडियम का निर्माण

***** 74. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के द्वारा यह निदेशित है कि बिहार के सभी प्रखंडों, अनुमंडलों एवं प्रमंडलों के मुख्यालयों में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रमंडलीय मुख्यालय, सहरसा में विगत 38 वर्षों से स्टेडियम का निर्माण अभी तक अधूरा है;

(ग) क्या यह सही है कि सुपौल के किसी भी प्रखंड में अभी तक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा एवं सुपौल के सभी प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सप्तम वेतन का लाभ

***** 75. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में संचालित सरकारी प्रा. विद्यालयों, मध्य विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय सचिव, निदेशक (प्रा.शि.), निदेशक (मा.शि.) से लेकर प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा विश्वविद्यालय में कुलपति एवं कुल सचिव तैनात हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं, व्याख्याताओं एवं शिक्षकेतर कर्मियों को समानता के सिद्धांत पर सप्तम वेतन का लाभ दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में 108 सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भी सप्तम वेतन का लाभ दिया जाना है, जो अभी तक लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समानता के सिद्धांत पर राज्य में 108 सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भी सप्तम वेतन का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो किस माह से ?

त्वरित कार्रवाई

***** 76. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक-679, दिनांक-23.7.2016 के द्वारा अवकाश रक्षित पदा. (मा.शि.) के जांच प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि पटना स्थित अल्पसंख्यक दयानन्द विद्यालय (+2), मीठापुर में दिनांक-18.5.2010 से कोई भी वैध प्रबंधकारिणी समिति नहीं है, जिसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने पत्रांक-547, दिनांक-29.5.2017 के द्वारा पूर्व से कार्यरत प्रबंध समिति को निरस्त कर दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व की निरस्त प्रबंधकारिणी समिति द्वारा असंवैधानिक ढंग से विद्यालय के कनीय शिक्षक श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को प्राचार्य सह सचिव पद पर आसीन किया गया है, जो विद्यालय के बैंक खाते से राशि निकासी कर निरस्त प्रबंध समिति को लाभ पहुंचा रहे हैं तथा इनके द्वारा छात्रों से जबरन रकम वसूली जा रही है और इसके विरुद्ध अभिभावकों द्वारा सभी साक्ष्य के साथ विभाग में दिनांक-28.7.2017 को आवेदन प्राप्त करा दिया गया है, लेकिन स्वयंभू प्राचार्य श्री सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध रूप से आसीन प्राचार्य को निलंबित कर उनके क्रिया-कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं जांचोपरान्त उन पर विद्यालय की राशि के दुरुपयोग के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

वेतनमान पर नियुक्ति

***** 77. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-45 के तहत राज्य में पल रहे सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार को विधि बनाने का दायित्व है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी सभी सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी अितथि-शिक्षक, लोक-शिक्षक, लोकमित्र, विद्या-उपासक, विद्या वालंटियर आदि नामों से संबोधित करते हुए बहुत ही कम वेतन पर नियुक्त कर रही है जिसे दूरदर्शन लाईव से उनकी योग्यता की माप की जाने की अति आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ग' पर अंकित संबोधित शिक्षक के स्थान पर सरकार द्वारा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की भांति स्वीकृत पदों एवं सृजित पदों पर मात्र शिक्षक, शिक्षिका एवं व्याख्याता नाम से योग्य शिक्षक, शिक्षिका एवं व्याख्याता को वेतनमान पर नियुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 25 अगस्त, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्